निर्णय व इजलास श्री विश्वजीत सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 161 / 24
दायरा दिनांक :– 09.12.2024
निर्णय दिनांक :– 13/9/25

उनवान

1. चन्दप्रकाश आयु 47 वर्ष पो श्यामलाल जाति अहीर निवासी दौलतपुरा तहसील बारां जिला बारां राज0

वादी

बनाम

1. कुन्जबिहारी पुत्र श्यामलाल जाति अहीर
2. भोजराज पुत्र श्यामलाल जाति अहीर
3. सत्यप्रकाश पुत्र श्यामलाल जाति अहीर
4. सिब्दुप्रकाश उर्फ दिनेश पुत्र श्यामलाल जाति अहीर (मृतक)
5. लाड बाई पुत्री श्यामलाल जाति अहीर
6. रामभरोसी पत्नी श्यामलाल जाति अहीर निवासीगण दौलतपुरा तहसील व जिला बारां राज0
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89, 188 आर.टी.एक्ट
निर्णय दिनांक :– 13/9/25

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री ओमप्रकाश मेहता II एड0 – वादीगण
2. श्री राजेश नागर एड0– प्रतिवादीगण

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89, 188 आर.टी.एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया, कि गाम दौलतपुरा पटवार हल्का इकलेरा तहसील बारां की जमाबन्दी सम्वत 2071–74 खाता संख्या नया 110 पुराना 110 की आराजी खसरा नं0 179 रकबा 2.87 हे0 माल प्रथम लगानी 43.05 रूपये खसरा नं0 94 रकबा 0.37 हे0 चाही–1 जॉब–1 लगानी 13.20 व 1.54 रूपये कुल किता दो रकबा 3.24 हे0 कुल लगानी 57.79 रूपये स्थित है जिसे आगे वाद पत्र में विवादित आराजियात के नाम से सम्बोधित किया गया है। उक्त आराजियात पूर्व में वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता व पति के संयुक्त खातेदारी की थी उनके देहान्त होने पर श्यामलाल उर्फ श्यामस्वरूप का इंतकाल क्रमांक 76 दिनांक 02.11.1991 को तस्दीक किया गया जो हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 25.05.1991 को खोला गया जिसके सजरे में मृतक के पुत्रो के रूप मे भोजराज सत्यप्रकाश चन्दप्रकाश कुन्जबिहारी सिब्दुप्रकाश पत्नी राममरोषी व पुत्री लाड बाई का नाम दर्ज है। तथा इंतकाल तस्दीक में भी वादी का नाम अंकित है किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता व पति का बंटवारा के मुताबिक खोले गये नामान्तकरण संख्या 152 दिनांक 30.05.1996 में वादी का नाम सहायन से छोड़

अध्यक्ष
सदस्य
सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बारॉ (राज.)

उप खण्ड अधिकारी
बारॉ

दिया जबकि वादी के अतिरिक्त वादी के भाईयो व मा व बहिन का नाम 1/6, 1/6 के रूप मे अकित कर दिया इस प्रकार इतकाल कमाक 152 खोलते वक्त व उसका अमल जमाबन्दी सम्वत 2051–54 मे करते वक्त वादी का नाम राजस्व कर्मचारियो द्वारा भूलवश अकित करने से रह गया है प्रतिवादी क्रम 04 सिब्दुप्रकाश उर्फ दिनेश का लाओलाद देहान्त हो चुका है। जिसका हिस्सा वादी व शेष प्रतिवादी को प्राप्त होगा इस प्रकार वादी अपने 1/6 के रूप में खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाकर अपना नाम राजस्व रिकार्ड में 1/6 के रूप मे अंकन कराने व मृतक सिब्दुप्रकाश उर्फ दिनेश का नाम राजस्व रिकार्ड से हटवाये जाने का अधिकारी एवं नालिशी है तथा खिलाफ प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा भी प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण से कई मर्तबा उसका नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन कराने हेतु तहसील बारां मे चलने के लिये निवेदन किया गया तो उनके द्वारा टालमटूल की जाती रही तथा अंतिम रूप से दिनांक 12.10.2024 को इंकार करने पर वादी द्वारा रिकार्ड से नकले प्राप्त की व नकले प्राप्त होने के बाद अपने अधिवक्ता से संपर्क कर राजस्थान सरकार के प्रतिनिधी के रूप में जिला कलेक्टर महोदय बारां को धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिनांक 27.11.2024 को दिये जाने पर वाद कारण अंतिम रूप से दिनांक 12.10.2024 बमुकाम दौलतपुरा व धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिये जाने पर दिनांक 27.11.2024 को उत्पन्न हुआ है। जिला कलेक्टर महोदय बारां को धारा 80 सीपीसी का नोटिस प्रेषित किया जा चुका है किन्तु नोटिस की मियाद समाप्त नही हुई है चूंकि वाद आवश्यक प्रकृति का होने के कारण धारा 80(2) सीपीसी के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। राजस्थान सरकार सर्वोच्च भूस्वामी होने के कारण तहसीलदार बारां को प्रतिवादी क्रम 07 के रूप में पक्षकार बनाया गया है। माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि ग्राम दौलतपुरा की आराजी खसरा नं0 179 रकबा 2.87 हे0, माल प्रथम लगानी 43.05 रूपये खसरा नं0 94 रकबा 0.37 हे0, में वादी को 1/6 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर उसका नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने एवं वादी के पक्ष में खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि उसके खातेदारी एवं स्वामित्व में किसी प्रकार की मदाखलत प्रतिवादीगण न तो स्वयं उत्पन्न करे न अपने किसी प्रतिनिधी से करावे वादी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे अन्य सहायता जो न्यायोचित हो प्रदान की जावें

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 व 5, 6 की ओर से श्री राजेश नागर का वकालत नामा पेश हुआ। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय मे उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया। वादी ने अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी बाके ग्राम दौलतपुरा सम्वत् 2071–74 खाता संख्या नया 110, पुराना 110, खसरा नं0 179 रकबा 2.87 हे0, व खसरा नं0 94 रकबा 0.37 हे0, नकल जमाबन्दी बाके ग्राम दौलतपुरा सम्वत 2051–54, नकल इंतकाल क्रमांक 76 दिनांक 02.11.1991, नकल इंतकाल क्रमांक 152 दिनांक 30.05.1996,

अध्यक्ष

सदस्य सदस्य

राष्ट्रीय लोक अदालत
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बारां (राज.)

उप खण्ड अधिकारी
बारां

नकल जमाबन्दी वाके ग्राम दौलतपुरा सम्वत 2051--54, नकल नोटिस जिला कलेक्टर महादय बारां 80 सीपीसी दिनाक 27.11.2024, पेश किया गया।

अभिभाषक उभय पक्षकारान् द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया। प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता व पति श्यामलाल उर्फ श्यामस्वरूप के खातेदारी की आराजियात थी जो उनका देहान्त होने पर इंतकाल क्रमांक 76 दिनाक 02.11.1991 को तस्दीक किया गया जो हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 25.08.1991 को खोला गया था। जिसके सजरे में वादी का नाम दर्ज था इंतकाल तस्दीक में भी वादी चन्द्रप्रकाश का नाम दर्ज था। किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता व पति का बंटवारा के मुताबिक खोले गये नामान्तकरण संख्या 152 दिनाक 30.05.1996 में वादी का चन्द्रप्रकाश का नाम सहवन से छोड दिया है। वादी एवं प्रतिवादीगण के भाई व पुत्र सिब्दुप्रकाश उर्फ दिनेश पुत्र श्यामलाल का लाऔलाद अविवाहित अवस्था में ही देहान्त हो चुका है। उसके कोई विधिक वारिसान नही है। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुये राजीनामा के अनुसार प्रतिवादी क्रम 04 सिब्दुप्रकाश उर्फ दिनेश पुत्र श्यामलाल का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया जाकर वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण को समान रूप से 1/6, 1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजीनामा तस्दीक किया जाकर राजीनामा अनुसार निर्णय पारित किया जावे अन्य सहायता जो न्यायोचित हो प्रदान की जावें।

प्रस्तुत राजीनामा अभिभाषक उभय पक्षकारान् द्वारा न्यायालय मे उपस्थित होकर पेश किया गया। राजीनामा अभिभाषक उभय पक्षकारान् को पढकर सुनाया गया व समझाया गया। उभय पक्षकारान् राजीनामा पढ व सुनकर स्वीकार किया गया, तथा राजीनामा एवं पत्रावली पर सहमति के आधार पर हस्ताक्षर किये गये, जिनकी पहचान उनके अभिभाषकगण द्वारा की गई। अभिभाषक उभय पक्षकारान् की सहमति एवं सन्तुष्टि के आधार पर प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचानुसार वादी का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है, विवादित आराजी वाके ग्राम दौलतपुरा तह0 बारां खाता संख्या नया 110, पुराना 110, खसरा नं0 179 रकबा 2.87 हे0, व खसरा नं0 94 रकबा 0.37 हे0, कुल किता 2 कुल रकबा 3.24 हेक्टेयर, में प्रतिवादी क्रम 04 सिब्दुप्रकाश उर्फ दिनेश पुत्र श्यामलाल का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया जाकर, वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण को समान रूप से 1/6, 1/6, राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें। तदनुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

अध्यक्ष

सदस्य सदस्य

राष्ट्रीय लोक अदालत
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बारॉ (राज.)

(विश्वजीत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

उप खण्ड अधिकारी
बारॉ